बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन Domain skilling कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी, जिसके आधार पर प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी आकाश ग्रामीण महिला विकास समिति के द्वारा लखीसराय जिलान्तर्गत लखीसराय ब्लॉक में Domain skill Center संचालित किये जाने हेतु पंजीकरण किया गया। पंजीकरण के आधार पर इस केन्द्र DS code 05040003 को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा अनुमोदित करते हुए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को आवंटित किया गया। कालांतर में श्री विपिन कुमार चौधरी,पिता–श्री राम चौधरी, ग्राम–इंगलिश बार्ड नं04, जिला–लखीसराय के द्वारा माह जुलाई,2019 में एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि वे उक्त संस्था का संचालन Franchisee mode में कर रहे हैं। आवेदन पत्र में उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्र के संस्था को अधिष्ठापित करने एवं संचालन में लगभग 10 लाख रूपये का व्यय उनके द्वारा किया गया है। साथ हीं उनके द्वारा आकाश ग्रामीण महिला विकास समिति के साथ एक हस्ताक्षरित एकरारनामा की प्रति भी समर्पित की गयी, जिसमें 20:80% के Revenue sharing का उल्लेख किया गया है।

श्री विपिन कुमार चौधरी से प्राप्त आवेदन के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–1174 दिनांक–4.12.2019 के द्वारा श्रीमती वीणा सिंह, सचिव, आकाश ग्रामीण महिला विकास समिति द्वारा–श्री उपेन्द्र प्रसाद राम, साकिन–दौलतपुर, पोस्ट–बरेनी, जिला–भागलपुर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री शशिकान्त झा जो कि Society के Competent person के रूप में पंजीकृत हैं का स्पष्टीकरण दिनांक– 4 दिसम्बर, 2019 को समर्पित किया गया।

अपने स्पष्टीकरण में श्री झा द्वारा उल्लेख किया गया कि एकरारनामा की जो प्रति दी गयी है, वह गलत है। ऐसा कोई भी एकरारनामा विपिन कुमार चौधरी और आकाश ग्रामीण महिला विकास समिति के साथ नहीं हुआ है तथा सारा document उनके पास है। श्री झा के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि सेंटर में जो भी लागत है, वे खुद लगाये हैं तथा बिना सच्चाई जाने NGO का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जा सकता है।

श्री बिनोद के द्वारा समर्पित एकरारनामा की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष आकाश ग्रामीण महिला विकास समिति तथा द्वितीय पक्ष श्री विपिन कुमार चौधरी के बीच 20:80% के Revenue sharing के आधार पर यह केन्द्र स्थापित किया गया है तथा इस केन्द्र को स्थापित करने, मशीनरी क्रय करने, भवन का किराया, बिजली बिल का भुगतान तथा केन्द्र पर कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान द्वितीय पक्ष श्री विपिन कुमार चौधरी को करना है।

सभी तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात यह प्रमाणित होता है कि लखीसराय ब्लॉक में अवस्थित Domain skilling center DS code 05040003 आकाश ग्रामीण महिला विकास समिति के द्वारा सीधे तौर पर संचालित नहीं है, अपतु इसका संचालन श्री विपिन कुमार चौधरी पिता–श्री राम चौधरी, ग्राम–इंगलिश बार्ड नं04, जिला–लखीसराय के द्वारा किया जा रहा है। Franchisee mode में केन्द्र के संचालन से अनावश्यक रूप से केन्द्र को प्राप्त होने वाले राजस्व का बंटवारा होता है, जिससे केन्द्र में प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आकाश ग्रामीण महिला विकास समिति के द्वारा बिचौलियों की भूमिका निभाई जा रही है, जो कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए हानिकारक है । उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में Domain skill Center, DS code 05040003 का स्वामित्व श्री विपिन कुमार चौधरी,पिता–श्री राम चौधरी, ग्राम–इंगलिश बार्ड नं04, जिला–लखीसराय के नाम पर परिवर्तित करने का आदेश दिया जाता है। जिनके द्वारा इस केन्द्र का वास्तविक संचालन किया जा रहा है। श्री विपिन कुमार चौधरी को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर पोर्टल पर परिवर्तित किये जाने वाले सूचना यथा Organisation name, Center Name, Owners name, Pan detail of Owner, Bank account of owner, email id & Mobile number of owner की विवरणी बिहार कौशल विकास मिशन में जमा करना सुनिश्चित करें ताकि बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर तदनुकूल संशोधन/परिवर्तन किया जा सके ।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह,भा0प्र0से0)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/Domain–67/2018– 108 पटना,दिनांक– 27/1/2020

प्रतिलिपि– (1). प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(2) सचिव, आकाश ग्रामीण महिला विकास समिति, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(3) श्री विपिन कुमार चौधरी,पिता–श्री राम चौधरी, ग्राम–इंगलिश बार्ड नं04, जिला–लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(4) मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(5) Project Director, MKCL/Project Director,E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(6) प्रशासी पदाधिकारी/मिशन प्रबंधक(वित्त एवं लेखा)/मिशन प्रबंधक(समन्वय)/SPMU Incharge लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(7) जिला कौशल प्रबंधक,लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।